क्रम संख्या–10 (ञ) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 09 जनवरी 2018 ई0

पौष 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32/XXXVI(3)/2018/88(1)/2017

देहरादून, 09 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 05 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2018)

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002)(संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह 01 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 28 का संशोधन

2 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 28 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड़) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात :–

(क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिटः	
	(ए) एल, बीयर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियॉं, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पादन–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वीत अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बीयर को छोडकर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भारत में यवासवित बीयर	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
4.	भांग	रू0 75.00 प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क–

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब, जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट	
	(ए) एल, बीयर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियॉं, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति कि0ग्राम

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेंस के अन्तर्गत कृषित या संग्रहीत उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो पर उत्पाद–शुल्क या प्रति–शुल्क

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी)सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०

मद सं०	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	(सी) वाईन	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियॉ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500.00 प्रति ब०ली०
3.	भांग	रू0 75.00 प्रति कि0ग्राम

(ड.) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थो पर उत्पाद–शुल्क–

मद सं०	**उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण**	**शुल्क की अधिकतम दर**
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	रू0 500.00 प्रति ब०ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वीत शराब	रू0 300.00 प्रति ब०ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(सी) वाईन	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियॉ, जिसमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	रू0 1500 प्रति ब०ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	रू0 1500 प्रति ब०ली०

निरसन और अपवाद

3\. (1) उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2017) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर लागू था।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

4/9/17

कारण और उद्देश्य

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्पाद शुल्क की अधिकतम दर को बढाये जाने के लिए संशोधन किया जाना अपरिहार्य है। चूंकि तत्समय विधान सभा सत्र में नही थी, अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2017) प्रख्यापित किया गया था।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रकाश पंत
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी/51–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।